इलाही ग़ज़ब से

बचाव

इलाही ग़ज़ब से

बचाव

ilāhi ġhazab se bachāw

Salvation on Judgment Day
(Urdu—Hindi script)

© 2019 MIK
published and printed by
Good Word, New Delhi

for enquiries or to request more copies:
askandanswer786@gmail.com

मौत नागुज़ीर है

इस बेक़रार दुनिया में रहते हुए हर एक को तरह तरह की मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन में से सबसे मुश्किल मुसीबत मौत है। आख़िरकार हर एक को मौत का सामना करना पड़ेगा। यह एक ऐसी अटल हक़ीक़त है जिस पर बहस की चंदाँ ज़रूरत नहीं। ग़ालिबन कोई भी ऐसा दिन नहीं गुज़रता जिस में हमारा कोई न कोई अज़ीज़ दुनिया को आख़री सलाम न कहता हो। तो भी इनसान आम तौर पर मरने का ख़याल तक नहीं करता। जिसका एक पाँव क़ब्र में लटक रहा हो, वह भी इस अम्र पर तवज्जुह नहीं देता। अगर उसे मरने का ख़याल आ भी जाए तो वह ख़ौफ़ज़दा हो जाता है।

अदालत नागुज़ीर है

मौत हमें एक और नागुज़ीर हक़ीक़त से ख़बरदार करती है और वह है रोज़े-महशर की अदालत। आम तौर पर इनसान इसका बिलकुल ख़याल नहीं करता कि मौत के बाद उसे अपने ख़ालिक़ और मालिक के सामने हाज़िर होकर हिसाब देना पड़ेगा। अमली तौर पर वह ऐसी नालायक़ और नापाक ज़िंदगी गुज़ारता है गोया कि क़ियामत और अदालत होगी ही नहीं। यों पाक नविश्ते फ़रमाते हैं कि

> एक बार मरना और अल्लाह की अदालत में हाज़िर होना हर इनसान के लिए मुक़र्रर है।
> (इंजील मुक़द्दस, इबरानियों 9:27)

हज़रत ईसा के ज़रीए अदालत

कौन इनसान की अदालत करेगा? यह ज़िम्मेदारी हज़रत ईसा को सौंपी गई है। चुनाँचे लिखा है कि

> ईसा वही है जिसे अल्लाह ने ज़िंदों और मुर्दों पर मुंसिफ़ मुक़र्रर किया है।
> (इंजील मुक़द्दस, आमाल 10:42)

हज़रत ईसा के ज़रीए नजात

यह पक्की बात है कि हज़रत ईसा दुबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे। उनकी आमद की अलामतें तो इन्हीं दिनों में नज़र भी आ रही हैं। जब वह आएँगे तो हम सब किस तरह अदालत से बचेंगे?

ख़ुशी की बात यह है कि अल्लाह ने इनसान को अदालत से बचने का रास्ता मुहैया किया है। जब हज़रत ईसा पहली बार दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वह इनसानी शक्ल इख़्तियार करके कुँवारी से पैदा हुए। सारी ज़िंदगी नेक काम करने और शिफ़ा देने के बाद उन्होंने सलीब पर अपनी जान देकर इनसान के गुनाहों का मुकम्मल कफ़्फ़ारा दिया। तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे (इंजील मुक़द्दस, आमाल 10:39-40)। पाक नविश्ते इसकी तसदीक़ करते हैं,

> तमाम नबी उसकी गवाही देते हैं कि जो भी उस पर ईमान लाए उसे उसके नाम के वसीले से गुनाहों की

> माफ़ी मिल जाएगी।
> (इंजील मुक़द्दस, आमाल 10:43)

आइए हम अदालत से बचें

अज़ीज़ दोस्त, क्या आप अदालत के उस हौलनाक दिन के लिए तैयार हैं? गुनाह, बदकारी और नाफ़रमानी की वजह से अल्लाह का ग़ज़ब इनसान पर नाज़िल होगा। गुनाह एक ऐसी हैबतनाक चीज़ है कि अगर आपका दिल इसके दाग़ से पाक-साफ़ न हुआ और आपने अल्लाह से माफ़ी हासिल न की तो गुनाह ज़रूर ही आपको दोज़ख़ में ले जाएगा। हज़रत ईसा और उनके कफ़्फ़ारा और नजातबख़्श मौत पर ईमान लाए बग़ैर इनसान को हक़ीक़ी तसल्ली और इतमीनान हासिल नहीं हो सकता। हज़रत ईसा के बारे में लिखा है,

> अब वह ज़मानों के इख़्तिताम पर एक ही बार सदा के लिए ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आपको क़ुरबान करने से गुनाह को दूर करे। एक बार मरना और अल्लाह की अदालत में हाज़िर होना हर इनसान के लिए मुक़र्रर है। इसी तरह मसीह को भी एक ही बार बहुतों के गुनाहों को उठाकर ले जाने के लिए

> क़ुरबान किया गया। दूसरी बार जब वह ज़ाहिर होगा तो गुनाहों को दूर करने के लिए ज़ाहिर नहीं होगा बल्कि उन्हें नजात देने के लिए जो शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
> (इंजील मुक़द्दस, इबरानियों 9:26-28)

अब तक हज़रत ईसा का नजातबख़्श काम क़बूल करने का मौक़ा है। अब तक अदालत से बचने का मौक़ा है। आइए हम इसे क़बूल करके अदालत से बचें।